न्यायालय सहायक कलक्टर, बाप, जिला जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

वादी

1. किशनचन्द पुत्र श्री रायसिंह
जाति जाट निवासी ढाणी सांचला
तहसील टुहाना जिला हिसार (हरियाणा)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. अणची पत्नि रूगनाथ
2. लादूराम पुत्र आईदान
3. बंशी पुत्र आईदान
4 हनुमानराम पुत्र बगडूराम
5 जमना पत्नि बगडूराम
6 खीवणी पत्नि फौजाराम फौत के कायम मुकाम
6/1 मोहनराम पुत्र फौजाराम
सभी जाति विश्नोई निवासीगण
हनुमान नगर कानासर तह.बाप
7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व मूल वाद संख्या :– 41/2018

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 गैर हाजिर
3. सरकारी पैरोकार स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 23.01.2020

वादीगण ने एक वाद पेश कर रखा है जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है कि ग्राम हनुमान नगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि खसरा नम्बर 294 रकबा 99.10 बीघा स्थित है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संवत 2072 से 2075 संलग्न वाद पेश है। वादग्रस्त भूमि ग्राम हनुमान नगर के खसरा नंबर 294 रकबा 99.10 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि जो वादग्रस्त काश्त भूमि का अपने हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। वादी वादग्रस्त भूमि का हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। वादीगण ने अपनी भूमि को मेहनत खाद से कीमती एवं उपजाऊ बनाया है वादीगण ने प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि का सक्षम अधिकारी के समक्ष बंटवाड़ा करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने बंटवाड़ा से मना कर दिया इसलिए बंटवाड़ा का वाद वादी पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की और से कोई उपस्थिति नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनकर ग्राम हनुमान नगर पटवार क्षेत्र कानासर के खसरा नम्बर 294 रकबा 99.10 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी की भूमि का अपने हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव मंगवाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जिस पर वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर ऐतराज जाहिर किया गया बंटवाड़ प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार पेश नहीं किया है। वकील वादी का प्रार्थना

कलेक्टर
(जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mehaveer Singh
Date: 2020.02.03 20:36:59 IST
Reason: SelfAttested
Location:

पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप से बंटवाड़ा प्रस्ताव पुनः मंगवाया गया जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में वादी को कोई उजर ऐतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश जारी करवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु वकील वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर न्यायालय तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझता है।

आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम हनुमान नगर पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 294 रकबा 99.10 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र.स.	पक्षकारान् का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	विभाजन
1	किशनचन्द पि. रायसिंह जाति जाट सा.बलोच जिला हिसार हरियाणा 1/2 हि.खातेदार	294/1	49.15	बी–4	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार
2	अणची पत्नि रूगनाथ, लादुराम बंशी पि. आईदान, हनुमानराम पि. बगडुराम, जमना बेवा बगडुराम खीवणी पत्नि फौजाराम जाति विश्नोई स. देह खातेदार	294	49.15	बी–4	संलग्न नजरी नक्शा अनुसार

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग खाते कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्व इस अमर की जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ग्राम हनुमान नगर पटवार क्षेत्र कानासर वादी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वंय करे न ही अन्य किसी से करावे। अन्तिम डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर, नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)